

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S.B. Civil 2nd Appeal No.561/2005

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एम सी जैन।

:: आदेश दिनांक :: 28.2.2019

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 3/3 लगायत 3/5 की तामील को अभिमुक्त (Dispensed With) किये जाने हेतु प्रार्थना की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की उक्त प्रार्थना स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी संख्या 3/3 लगायत 3/5 की तामील अपीलार्थी की प्रार्थना व जोखिम पर अभिमुक्त (Dispensed With) की जाती है।

प्रत्यर्थी सं. 2 को नोटिस जारी किए जावे।

अपीलार्थी के अधिवक्ता एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करे, जो पेश किये जाने पर आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किये जावे।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि प्रत्यर्थी संख्या 3/1 की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उन्होंने आवश्यक प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रार्थना पत्र पत्रावली के संलग्न करे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति